कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 24.07.2019 द्वारा श्रीमती सनी कौर, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाड़ीसरा, नागौर का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पचपदरा नगर, बालोतरा जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती कौर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13223/2019 सनी कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 13223/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9417/2019 हेतराम मेहरड़ा व अन्य में पारित निर्णय से कवर्ड करते हुए विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.07.2019 को याचिकार्थी श्रीमती सनी कौर के सम्बन्ध में अपास्त कर दिया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2019 को याचिकार्थी श्रीमती सनी कौर की हद तक एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्रीमती सनी कौर, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राआउमावि पचपदरा नगर, बालोतरा जिला बाडमेर अपने पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाड़ीसरा जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/सनी कौर/13223/2019 दिनांक 21.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/अजमेर संभाग, जोधपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर/बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)